रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 358
No. 49] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938 [N.C.T.D. No. 358

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

फा.सं. 13(126)यूडी/एमबी/2014/730 निम्नलिखित को सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

''शहरी विकास मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

फा.सं.–के–12016/1/2017–डीडी–I.—जबकि न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 (1994 की धारा 44) की धारा 260 की उप–धारा (1) न.दि.न.परिषद् के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों हेतु भवन उप–नियम बनाने हेतु, रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार को अधिकृत करती है;

तथा जबकि न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धरा 260 की उप–धारा (3) प्रावधान करती है कि ऐसे उपनियमों का प्रारूप परिषद् अध्यक्ष को अग्रेषित किया जाएगा जो ऐसी अधिसूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर नागरिकों से आपत्तियाँ तथा परामर्श आमंत्रित करने हेतु रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के निमित्त होगें ;

तथा जबकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 57 की उप–धरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में भारत के असाधारण राजपत्र भाग–II, धारा 3, उप–धारा (ii) में अधिसूचित ''एकीकृत भवन उप–नियम दिल्ली–2016'' अधिसूचना का.आ. 1191(अ), दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित केन्द्र सरकार के पूर्व के अनुमोदन के साथ;

तथा जबकि, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय, पत्र सं0 के–12016/3/2014–डीडी–I दिनांक 23 मार्च, 2016 न.दि.न.परिषद् को एकीकृत भवन उप–नियम, दिल्ली, 2016 को अपनाने हेतु अनुरोध करता है ;

तथा जबकि, अध्यक्ष, न.दि.न.परिषद् ने अधिसूचना की सं0 597/पीएस/सीए/न.दि.न.परिषद् दि0 4 नवम्बर 2016 द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर, न.दि.न.परिषद् द्वारा इसे अपनाने हेतु ''एकीकृत भवन उप–नियम दिल्ली'' पर नागरिकों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए ;

तथा जबकि उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में नागरिकों से कोई आपत्तियाँ तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अब इसलिए, न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 260 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा ''एकीकृत भवन उप–नियम दिल्ली 2016'' को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–II, धारा 3, उपधारा (ii) द्वारा अधिसूचना सं. एसओ 1191(अ) दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रकाशित के रूप में अधिसूचना सं. एसओ 2479 (ई) दिनांक 21 जुलाई

2016 द्वारा संशोधित भारत के असाधारण राजपत्र भाग–II धारा 3, उप–धारा (ii) में प्रकाशित समय समय पर संशोधित अनुसार न.दि.न.परिषद् में लागू यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इन उपनियमों को अपनाती है।

आदेशानुसार,

अनिल कुमार, अवर सचिव"

आदेशानुसार,

संजीव मनकोटिया, उप सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th Februray, 2017

F.No. 13(126)/UD/MB/2014/730 The following is published for general information :—

"MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2017

F.No.-K-12016/1/2017-DD-I.—Whereas, sub-section (1) of Section 260 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) empowers the Central Government, by notification in the Gazette of the Government of the National Capital Territory of Delhi, to make building bye-laws for the areas under the jurisdiction of the New Delhi Municipal Council;

And whereas, sub-section (3) of Section 260 of the said New Delhi Municipal Council Act, 1994 provides that the draft of such bye-laws shall be forwarded to the Chairperson who shall cause the same to be published in the Gazette of the Government of the National Capital Territory of Delhi for inviting objections and suggestions from the public within thirty days from the date of such notification;

And whereas, the Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), with the previous approval of the Central Government notified the "Unified Building Bye Laws for Delhi 2016" *vide* notification number S.O. 1191 (E), dated the 22nd March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

And whereas, the Ministry of Urban Development, Government of India, *vide* letter No.K-12016/3/2014-DDI dated the 23rd March, 2016, requested the New Delhi Municipal Council to adopt the said Unified Building Bye Laws for Delhi, 2016;

And whereas, the Chairperson, New Delhi Municipal Council, the notification number 597/PS/CA/NDMC, dated the 4th November, 2016 invited objections and suggestions from the public on the "Unified Building Bye Laws for Delhi" for its adoption by the New Delhi Municipal Council within thirty days from the date of that notification;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 260 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, the Central Government hereby adopts the "Unified Building Bye Laws for Delhi 2016" published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1191 (E), dated the 22nd March, 2016 as amended by notification number S.O. 2479 (E), dated the 21st July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and to make these bye-laws mutatis mutandis applicable in the New Delhi Municipal Council area, as amended from time to time.

By Order,

ANIL KUMAR, Under Secy."

By Order,

SANJEEV MANKOTIA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.11 11:04:47 +05'30'